बंधुआ मजदूर के संबंध में स्क्रीनींग कमिटी

बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अन्तर्गत विमुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास योजना का परीक्षण करने एवं स्वीकृति प्रदान करने हेतु भारत सरकार के पत्रांक यू0–11016/9/84 बी0एल0–1 (भौ0 –2) दिनांक 17 सितम्बर 85 द्वारा प्राप्त निदेशों के क्रम में पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 13/बी0एल0–10116/85–श्र0नि0–25 पटना, दिनांक 9 जनवरी 86 को अवक्रमित करते हुए राज्य सरकार सभी जिलों के लिए स्क्रीनिंग कमिटी निम्नप्रकार गठित करती हैः–

1.	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
2.	अपर समाहर्त्ता (ब0म0पुनर्वास से संबंध)	सदस्य सचिव
3.	जिला कृषि पदाधिकारी	सदस्य
4.	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग	सदस्य
5.	जिला सहकारिता पदाधिकारी	सदस्य
6.	जिला पंचायती राज पदाधिकारी	सदस्य
7.	जिला पशुपालन पदाधिकारी	सदस्य
8.	जिला उद्योग पदाधिकारी	सदस्य
9.	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग	सदस्य
10.	श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक	सदस्य
11.	पुनर्वास योजना से सम्बद्ध अनुमंडल पदाधिकारी	सदस्य

2. सम्बद्ध पदाधिकारी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी इस समिति में अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे।

3. जिला पदाधिकारी यदि किसी अन्य विभाग को भी बंधुआ मजदूर पुनर्वास से सम्बद्ध समझेंगे तो उक्त समिति में उस विभाग के प्रतिनिधि को तथा उक्त क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित कर सकते हैं।

4. समिति का मुख्यालय जिला में रहेगा।

(अधिसूचना संख्या – 2/बी०एल०–1047/1–श्र०नि०–160 पटना, दिनांक–14 मई 92)